अरविन्द चौधरी बनाम राज. सरकार

25/9/24	पत्रावली पेश हुई, पीठासीन अधिकारी मुख्यालय से बाहर हैं। पूर्वानुसार ~~06/11/24~~ को पेश हो। 23/10/24
23/10/24	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उपस्थित। बहस हेतु अधि० प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 24/10/24 को पेश हो। /Rahul
24/10/24	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उप०। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 28/10/24 को पेश हो। /Rahul उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)
28/10/24	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उप०। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली फैसल शुमार हो। नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। /Rahul उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री राहुल श्रीवास्तव (आई.ए.एस)

प्रार्थना पत्र कमांकः— 05/2024

1. अरविन्द चौधरी
2. विकास चौधरी
3. विशाल चौधरी समस्त पुत्रान प्रेमसिंह जाति जाट निवासी फतेहपुर तहसील उच्चैन।

..................प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील उच्चैन भरतपुर राज0।

..................अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 128 एल.आर.ए.

उपस्थितिः—

1. श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवोकेट

निर्णय दिनांकः—28.10.2024

प्रार्थीगण के द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.ए. के तहत पेश कर निवेदन किया है कि हम प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 856/0.42, 857/0.01है0 बाके ग्राम फतेहपुर में स्थित है उक्त आराजी का इन्द्राज पटवार कागजात जमाबंदी सम्बत 2075—2078 में खाता संख्या 384 पर हो रहा है। उक्त आराजी से प्रार्थी के अलावा अन्य किसी दीगर व्यक्ति का कोई सम्बन्ध एवं सरोकार नहीं है। मौके पर विवादित आराजी के चारों ओर डौल मैड डली हुई है एवं उक्त आराजी पर किसी भी प्रकार का कोई झगडा नहीं है ना किसी न्यायालय का स्थगन है। आराजी के पूर्व की ओर के पडौसी खातेदार डौल मैडों को तोडते रहते है एवं इसकी बजह से झगडे एवं विवाद रहने का अंदेशा रहता है एवं आवारा पशुओं से भी फसल को नुकसान होता रहता है। जिसके कारण उक्त आराजी पर काश्त करना मुश्किल हो रहा है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का सीमाज्ञान कराया जाकर पत्थरगढी कराये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 किया जाकर। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा दिनांक 30.07.2024 को जबाव पेश किया। अप्रार्थी द्वारा अपने जबाव में निवेदन किया है कि विवादित आराजी का सीमाज्ञान नहीं हुआ है एवं फसल कटने के पश्चात ही उक्त आराजी का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी किया जाना सम्भव है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर

Rahul Shrivastava
28/10/24.

बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण ने बहस के दौरान अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया एवं निवेदन किया कि फसल की कटाई हो चुकी है इसलिए उक्त विवादित आराजी का सीमाज्ञान कराया जाकर पत्थरगढी कराई जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील प्रार्थीगण की बहस तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड पर गौर किया गया। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जा कर अप्रार्थी लैण्ड हौल्डर तहसीलदार उच्चैन को आदेशित किया जाता हैं कि वह विवादित जायदाद आराजी खसरा नम्बर 856/0.42, 857/0.01है0 बाके ग्राम फतेहपुर तहसील उच्चैन का सीमाज्ञान करावें तथा प्रार्थीगण के खर्चे पर पत्थरगढी करावें। इस बाबत् अप्रार्थी लैण्ड हौल्डर तहसीलदार उच्चैन को कैफियत जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 28.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul Srivastava 28/10/24

राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर